

Regel

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

सेवा में

श्री शिव कुमार, आशुलिपिक
कार्यालय सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,
भिवानी ।

क्रमांक: स्था/03/2019/ 4519

दिनांक: 26-3-19

विषय:-

कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से पदोन्नति ना लेने बारे ।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 16.10.2018 के संदर्भ में ।

विषय सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से पदोन्नति न लेने बारे अनुरोध किया गया था, जिस पर श्रम आयुक्त महोदय द्वारा आपको दिनांक 05-04-19 को प्रातः 11:00 AM बजे श्रम आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17 बी, चण्डीगढ में अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0) मुख्यालय के कक्ष में सुनवाई हेतु बुलाया गया है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप दिनांक 05-04-2019 को अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0), महोदय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होंगे।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृते: श्रम विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक:- स्था0/03/2017/ 9520

दिनांक: 26-3-19

इसकी एक प्रति सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, भिवानी को उक्त के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृते: श्रम विभाग, हरियाणा।